

# चलते-चलते-14 : भारतीय राजव्यवस्था

## राजनीतिक तथा संवैधानिक शब्दावली-6

- **सर्वहारा वर्ग:** वह वर्ग जिसके पास वैयक्तिक सम्पत्ति बिल्कुल नहीं है या लगभग नहीं के बराबर है। यह वर्ग अपने श्रम को बेचकर अपना जीवन यापन करता है। मार्क्सवादी विचारक इसे श्रमिक वर्ग से समीकृत करते हैं।
- **संसदीय व्यवस्था:** लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली जिसमें एक तो नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के निम्न या लोकप्रिय सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
- **राजतंत्र:** जिस देश में किसी राजा का राज्य होता है और राजा स्वयं शासन करता है। उसे राजतंत्र कहते हैं। जहाँ राजा सिर्फ नाममात्र को राज्य का प्रमुख होता है और वास्तविक शासन संसद द्वारा चलाया जाता है, वहाँ इसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं, जैसा कि इंग्लैंड में है।
- **सीमित राजतंत्र:** यह शासन की वह प्रणाली है जिसमें सम्राट या साम्राज्ञी केवल नाममात्र के शासक रह जाएं, इसे संवैधानिक राजतंत्र भी कहते हैं। इसमें वास्तविक शासन सत्ता जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में होती है।
- **लेम-डेक सेशन:** यह व्यवस्थापिका का वह सत्र है जब नई व्यवस्थापिका का चुनाव हो गया हो, परंतु पुरानी व्यवस्थापिका अपनी अन्तिम बैठक कर रही हो। यथार्थ में 'लेम डेक' व्यवस्थापिका के उन सदस्यों को कहते हैं जो नई व्यवस्थापिका में पुनर्निर्वाचित न हो सके हों।
- **लेफ्टिस्ट:** उन लोगों या दलों को लेफ्टिस्ट कहते हैं, जिनके विचार साम्यवाद या समाजवाद से प्रभावित होते हैं और कुछ उदारवादी होते हैं। वस्तुतः वामपंथी का तात्पर्य इस शब्द से अब लिया जाता है। इसका पहले विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति के समय उग्रपंथी राष्ट्रीय महासभाग में अध्यक्ष के बाईं ओर बैठते थे उन्हें वामपंथी कहा जाता था।
- **साम्राज्यवाद:** जब एक देश अपने राज्य का विस्तार करता है। अन्य देशों को युद्ध में हराकर परतंत्र बनता है और परतंत्र देशों का राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक शोषण करता है तो उसके ये कार्य साम्राज्यवाद के अंतर्गत आते हैं। कुछ समय पूर्व तब ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड तथा पुर्तगाल साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं, परंतु अब संसार से साम्राज्यवाद समाप्त होता जा रहा है। अब डॉलर के साम्राज्यवाद ने अपना प्रभाव स्थापित कर नव साम्राज्यवाद के युग का सूत्रपात किया है।
- **हाइजेकिंग:** किन्हीं राजनीतिक या व्यक्तिगत कारणों से कुछ व्यक्तियों द्वारा पिस्तौल दिखाकर या मारने की धमकी देकर किसी वायुयान को अपने निश्चित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ले चलने को बाध्य करना हाइजेकिंग कहलाता है।
- **हॉट लाइन:** जब दो बड़े देशों के नेता आपस में प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके बातचीत करते हैं या उच्च स्तरीय बातचीत का प्रबंध करते हैं, ताकि एक-दूसरे की भावना या नीयत समझने में कोई त्रुटि न हो जाए जिससे भविष्य में भयंकर परिणाम हों, ऐसी दूरभाष की व्यवस्था को हॉट लाइन कहते हैं।
- **हैबियस कॉर्पस:** 1679 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित उस अधिनियम को हैबियस कॉर्पस कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसे बिना वारण्ट तथा बिना अपराध बताए कैद कर लिया गया है, को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने आपको न्यायालय में हाजिर करने की मांग कर सकता है। न्यायालय से जमानत प्राप्त करने की प्रार्थना कर सकता है और शीघ्र न्यायिक जांच या सुनवाई का अनुरोध कर सकता है। भारत में उच्च एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा मूलभूत अधिकार के हनन संबंधी उपचार में दी जाने वाली 'रिट' या 'लेख' का नाम भी हैबियस कॉर्पस है, जो किसी भी बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश देती है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'शरीर प्रस्तुत करो'।
- **संघीय राज्य:** छोटे-छोटे से इकाई राज्य (सब) मिलकर एक इकाई राज्य की स्थापना इस प्रकार करते हैं कि कुछ सम्मिलित कार्य नवनिर्मित राज्य को सौंप देते हैं तथा शेष कार्यों के लिए स्वतंत्र रहते हैं। यह व्यवस्था राजनीतिक प्रयास का परिणाम होती है। इसके लिए दुष्परिवर्तनशील लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन व स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है।
- **संवैधानिक सरकार:** संविधान के उपबंधों द्वारा सीमित और संविधान के प्रावधानों के अनुकूल चलाई जाने वाली सरकार को संवैधानिक सरकार कहते हैं।
- **सविनय अवज्ञा:** बिना हिंसा का सहारा लिए, सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पालन से इंकार किए जाने को सविनय अवज्ञा कहते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930 में) चलाया गया था।
- **साम्प्रदायिकता:** जब एक सम्प्रदाय अपने को अन्य सम्प्रदायों से श्रेष्ठ और अपने सम्प्रदायगत हितों को राष्ट्रीय हितों की तुलना में कहीं अधिक प्राथमिक मानने लगता है तो इसे ही साम्प्रदायिकता कहते हैं।
- **सह-अस्तित्व:** एक देश द्वारा किसी दूसरे देश के अस्तित्व को स्वीकार करना, भले ही देश की शासन व्यवस्था, धर्म, सभ्यता, विचारधारा, निहित स्वार्थ आदि पहले देश से भिन्न हों, सह-अस्तित्व कहलाता है। सह-अस्तित्व में विश्वास न करने वाले देशों के बीच युद्ध बना रहता है, जैसा कि पहले मित्र व इजराइल के बीच था। सह-अस्तित्व पंचशील का एक सिद्धांत है जिसे पंडित जवाहर लाल नेहरू व चाउ एन लाई ने विदेश नीति का आधार स्वीकार किया था।
- **शीत युद्ध:** जब वास्तविक युद्ध न हो तथा दो या अधिक देश एक-दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखें तथा प्रचार के माध्यम से आरोप-प्रत्यारोप की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, तो इस स्थिति को शीत युद्ध कहते हैं।
- **सहमति:** किसी विषय पर आपसी विभाजन को दूर करने के लिए सदस्यों द्वारा सहमत होना या किसी समस्या के हल के लिए एकमत होना कनसेन्सस अथवा सहमति कहलाता है।
- **राजगद्दी त्याग:** जब कोई राजा अपनी राजगद्दी स्वयं इच्छा से त्याग देता है तो इसे राजगद्दी त्याग या एब्डिकेशन कहते हैं।